57/25

न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांक /कोर्ट/2025/ 857

दिनांक 26/9/25

श्रीमती ममता शर्मा
निवासी 16, आदर्श नगर
भरतपुर
मो न0 9414556777

विषयः—अपील संख्या 57/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री ममता शर्मा बनाम लो.सू.अ. प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कलै0 भरतपुर** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 12.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— निर्णय प्रति एवं लोक सू0अ0 से प्राप्त पत्रादि की प्रति

आज्ञा से,

रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

ममता शर्मा बनाम लो.सू.अधि. प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कलै0 भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 57 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट ममता शर्मा निवासी 16, आदर्श नगर, भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060090910738120 से लोक सूचना अधिकारी **प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कलै0 भरतपुर** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति **प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कलै0 भरतपुर** को प्रेषित कर अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई हो तो प्राप्ति रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 12.09.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर भरतपुर	775 5/9/25 जारी
12/9/25	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 57 / 2025

श्रीमती ममता शर्मा पत्नि आदर्श मधुकर निवासी 16, आदर्श नगर कॉलोनी, भरतपुर मो. नं. 9414556777

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 12.09.2025**

अपीलार्थी श्रीमती ममता शर्मा पत्नि आदर्श मधुकर निवासी 16, आदर्श नगर कॉलोनी, भरतपुर की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन अपील सं0 060090910738120 इस आश्य की प्राप्त हुई है, कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 775 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक पूल / सूअधि 2005 / 2025 / 7501 दिनांक 11.09.2025 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थीया ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थीया ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है। लोक सूचना अधिकारी, ने अपने जबाब पत्र क्रमांक पूल / सूअधि 2005 / 2025 / 7501 दिनांक 11.09.2025 में उल्लेख किया है कि प्रार्थीया द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक जिला पूल / आरटीआई / 2025 / 7436 दिनांक 26.06.2025 द्वारा वांछित सूचना संबन्धित को उपलब्ध करा दी गई है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

(2)

अपील / आरटीआई / 57 / 2025

ममता शर्मा बनाम लो.सू.अ. प्रभारी अधि0 पूल अनु0 कलै0 भरतपुर

लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से जाहिर आया कि प्रार्थीया द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी पूल अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर

राजस्थान सरकार

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ,भरतपुर (राज0)

क्रमांकः पूल/सूअधि 2005/2025/7501 दिनांकः 11/09/25

रीडर,
श्रीमान जिला कलक्टर,
भरतपुर।

विषय :– अपील संख्या 57/2025 अर्न्तगत सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रतिउत्तर भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– आपका पत्र कमांक /कोर्ट/25/775 दिनांक 04.09.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आप द्वारा अपने प्रासागिक पत्र के माध्यम से न्यायायल श्रीमान जिला कलक्टर, भरतपुर में दर्ज अपील संख्या 57/2025 दिनांक 04.09.2025 के संबध में इस कार्यालय से अपीलार्थी को सूचना उपलब कराये जाने संबधित पत्र की प्रति चाही गयी थी।

उक्त कम में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जिला पूल/आरटीआई/2025/7436 दिनांक 26.06.2025 द्वारा संबधित को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जा चुकी है, सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति एवं जावक पंजिका की प्रति संलग्न है, अतः प्रकरण को इसी स्तर पर निस्तारित किये जाने का श्रम करावें।

(राहुल सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर एवं
प्रभारी अधिकारी (पूल)
लोक सूचना अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

...पूल/आरटीआई/2025/7436

दिनांकः— 26/6/25

...ती ममता पुत्री श्री आदर्श मधुकर,
...निवासी 16 — आदर्श नगर, भरतपुर

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आप द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने बाबत्।
प्रसंग :— आपका आवेदन दिनांक 12.06.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आप द्वारा अपने प्रासागिक आवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना चाही गयी थी, आप द्वारा चाही गयी सूचना का बिन्दुवार निम्नप्रकार है :—

1. (अ) जिला पूल हेतु स्वीकृत वाहनों की संख्या 20 है।
2. (ब) इस संबंध में कार्यालय जिला कलक्टर वर्ष 1947 से संचालित है एवं जिला कलैक्ट्रेट के समस्त अनुभाग (जिला पूल) जिला कलक्टर महोदय के अधीन संचालित होते है।
3. उक्त प्रकार की सूचना प्रश्नात्मक है , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत ऐसी सूचना ही प्रदान की जाती है जो कि कार्यालय में रिकॉर्ड रूप में संधारित है, सूचना का सृजन करना, तैयार करना एवं व्याख्या करना सूचना की श्रेणी में नहीं आता है।
3. उक्त प्रकार की सूचना प्रश्नात्मक है , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत ऐसी सूचना ही प्रदान की जाती है जो कि कार्यालय में रिकॉर्ड रूप में संधारित है, सूचना का सृजन करना, तैयार करना एवं व्याख्या करना सूचना की श्रेणी में नहीं आता है।
4. उक्त प्रकार की सूचना प्रश्नात्मक है , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत ऐसी सूचना ही प्रदान की जाती है जो कि कार्यालय में रिकॉर्ड रूप में संधारित है, सूचना का सृजन करना, तैयार करना एवं व्याख्या करना सूचना की श्रेणी में नहीं आता है।
5. उक्त प्रकार की सूचना प्रश्नात्मक है , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत ऐसी सूचना ही प्रदान की जाती है जो कि कार्यालय में रिकॉर्ड रूप में संधारित है, सूचना का सृजन करना, तैयार करना एवं व्याख्या करना सूचना की श्रेणी में नहीं आता है।

(राहुल सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं प्रभारी
अधिकारी (पूल), लोक सूचना अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

क्रमाकः—जिला पूल/आरटीआई/2025/7437 दिनांकः—26/6/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर।

(राहुल सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं प्रभारी
अधिकारी (पूल), लोक सूचना अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

34.		ई.ओ.एम.पी. भुसावल	941-990 / ब्लाक.				18
35		ई.ओ.एम.पी. नासिक	941-990 / ब्लाक.				18
36		ई.ओ.एम.पी. इटारसी	941-990 / ब्लाक.				18
37		ई.ओ.एम.पी. रतलाम	941-990 / ब्लाक. 1710 / (कार्बन)				18
38		ई.ओ.एम.पी. उज्जैन	941-990 / ब्लाक.				18
39		श्रीमती ममता पुत्री मधुकर निवासी 16 आदर्श नगर भरतपुर	2436- / कुल				6
							1042
			पिछला बैलेन्स - 10124 खर्च - 1042 शेष - 9082				